पांडिचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 13)

[17 नवम्बर, 1994]

यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पद उनके धारकों को पांडिचेरी विधान सभा के सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित न करेंगे,

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में पांडिचेरी विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पांडिचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1994 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते, जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई विधान सभा सदस्य, विधान सभा (पांडिचेरी) सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1964 (1964 का 16) के अधीन हकदार है, किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है ;

(ख) "अकानूनी निकाय" से व्यक्तियों का कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है, जो कानूनी निकाय से भिन्न हो ;

(ग) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ; और

(घ) "कानूनी निकाय" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो अभिप्रेत है ।

3. कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे- यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई पद उसके धारक को पांडिचेरी विधान सभा का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा ।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

निम्नलिखित कानूनी या अकानूनी निकायों के सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति, उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, अर्थात् :--

(क) दि पांडिचेरी डिस्टिलरीज लिमिटेड ;

(ख) दि पांडिचेरी एग्रो सर्विस एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड ;

(ग) दि पांडिचेरी एग्रो प्रोडक्टस, फूड एंड सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड ;

(घ) दि पांडिचेरी टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ;

(ङ) दि पांडिचेरी एडी ड्राविडार डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ; और

(च) दि पांडेचेरी लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड :

परन्तु ऐसे पद के किसी धारक ने प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कोई फीस या पारिश्रमिक प्राप्त न किया हो या वह उसके लिए हकदार न हो ।